निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 05/अपील/19 तारीख दायरा 29.03.2019

उनवान अपील

मांगीलाल आ0 नन्दा मेहर नि0 औसाव तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

01. रामप्रताप आ0 रामलाल मेहर नि0 औसाव तहसील सुनेल
02. लक्ष्मीनारायण आ0 रामलाल मेहर नि0 औसाव तहसील सुनेल
03. काशीराम आ0 बरधा जाति सैन नि0 औसाव तहसील सुनेल
04. रामगोपाल आ0 जगन्नाथ पाटीदार नि0 औसाव तहसील सुनेल
05. मोहनलाल आ0 रामप्रसाद पाटीदार नि0 औसाव तहसील सुनेल
06. कन्हैयालाल आ0 मांगीलाल पाटीदार नि0 औसाव तहसील सुनेल
07. मांगीलाल आ0 कारूलाल मेहर नि0 औसाव तहसील सुनेल (रेस्पो0)

अपील बनाराजी आदेश दिनांक 01.02.2019 न्यायालय तहसीलदार सुनेल मिसल न0 1/18 मांगीलाल बनाम रामप्रसाद वगै0

उपस्थितः— श्री रतनलाल शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री महेश कुमार पाटीदार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की और से

—: निर्णय :— दिनांकः 08.07.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा मिसल न0 06/17 निर्णय दिनांक 09.12.2015 से असन्तुष्ट होने पर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिस पर न्यायालय हाजा में प्रकरण 06/17 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 25.07.2017 से प्रकरण आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में जो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं का उपयोग करते हुए अपीलान्ट को उसके खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु बाद जांच व सुनवाई कर विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाई जाकर नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण 1/18 पर दर्ज रजिस्टर कर उभय की सुनवाई की जाकर बाद जांच प्रकरण को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नही मानकर पत्रावली दिनांक 01.02.2019 खारिज कर दी गई । उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपील द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में मुख्यतः निवेदन किया है कि ग्राम औसाव की आराजी ख0न0 375 व 377 अपीलान्ट की खातेदारी की है उक्त आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने—जाने के लिये प्रारम्भ से उपयोग में लिये जा रहे रास्ते को रेस्पोडेन्ट द्वारा अवरूद्ध कर दिया है जिसे खुलासा करवाने व रेस्पोडेन्ट को पाबन्द करने की भविष्य में अपीलान्ट को उसके उपयोग में लिये जाने वाले रास्ते को उपयोग में लेने से ना रोकने बाबत अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री महेश कुमार पाटीदार उपस्थित हुए। प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा दिनांक 10.06.2019 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अकंन किया कि अपीलान्ट की उसकी खसरा नम्बरान 375,377 ग्राम औसाव में स्थित है जिस पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बर 389,388 की मेर 388,375,386,378 व 376 की मेर पर से होकर है जिसमें कृषि कार्य के लिये अपीलान्ट अपना होश सम्भला तब से ही निर्विरोध चला आ रहा है। लेकिन अब तीन–चार साल से इस रास्ते पर रेस्पोडेन्ट वगैराह ने खाई खोदन कर व कांटों की बाड लगाकर अवरूद्ध कर दिया इससे अपीलान्ट की उक्त आराजी गत तीन–चार साल से पड़त पड़ी है व खेत में कांटे की झाडियां व अनचाहे जंगली पेड पोध उग आये हैं। अपीलान्ट काफी वृद्ध व गरीब व्यक्ति है आय का जो साधन था वह भी रेस्पोडेन्ट वगैरह ने बन्द कर दिया इससे प्रार्थी की माली हालत और भी दयनीय हो गई है व भूखे मरने की नोबत आ गई है। अपीलान्ट ने इस रास्ते के खुलासा करवाने के लिये सर्वप्रथम ग्राम पंचायत फिर तहसीलदार साहब तहसील पिड़ावा में अपना प्रार्थना पत्र विधिवत पेश किया इस दौरान तहसीलदार साहब पिड़ावा ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट भी ली जो कि दिनांक 02.12.2015 की हल्का पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि दानो पक्षों को मौके पर समझाया गया रेस्पोडेन्ट वगैरह ने अपीलान्ट उक्त रास्ता खुलासा करने की स्वीकृति दी व आपसी सहमति से अपीलान्ट का रास्ता खुलासा कर दिया गया व अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थना पत्र खारिज होने पर रेस्पोडेन्ट ने पुनः रास्ता बन्द कर दिया तहसीलदार साहब तहसील पिड़ावा के आदेश दिनांक 09.12.2015 की अपील अपीलान्ट ने श्रीमान के यंहा दिनांक 15.12.2017 को पेश की जिसे श्रीमान ने आंशिक स्वीकर कर पुनः तहसीलदार पिड़ावा को भेज दी। श्रीमान के आदेश में स्पष्ट अंकित है कि तहसीलदार को 251 आर.टी.एक्ट के इस प्रकार के विवाद सुनने का पूर्ण अधिकार है। यह कि इसकी पुनः सुनवाई तहसील पिड़ावा के यंहा जैरकार थी इसी दौरान सरकार के द्वारा तहसील सुनेल अस्तीत्व में आ जाने से क्षेत्राधिकार के अनुसार यह वाद नवीन तहसील सुनेल में सुनवाई हेतु हस्तान्तरित हो गया जहां पर विधिवत सुनवाई कर प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार को सुनवाई का अधिकार न होने से खारिज कर दिया व प्रार्थी अपीलान्ट का रास्ता सनातनी रास्ता नही माना। यहकि तहसीलदार साहब सुनेल ने साक्षी(1) प्रार्थी स्वंय(2) सुजानसिंह आ0 भगवान सिंह (3)रामगोपाल आ0 उंकारलाल (4) रामलाल आ0 बरधा व प्रार्थी का पुत्र ओमप्रकाश के बयानों का सही प्रकार से मनन व विवेचन नही किया इनके बयांनों ममें स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी अपीलान्ट सदैव से ही उक्त विवादित रास्ते से ही अपने खेत पर आजाता जाता रहा है। इनके इस प्रकार की साक्ष्य से उक्त विवादित रास्ता स्वतः ही सनातनी रास्ता है। यह कि हल्का पटवारी की दिनांक 05.07.2016 की मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी अपीलान्ट की आराजी पर इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नही है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर देने से प्रार्थी की आराजी पड़त पड़ी है व इसी में आगे यह भी लिखा है कि दोनों पक्षों को समझाया गया बाद समझाईश अप्रार्थीगण ने रास्ता बहाली की स्वीकृति दी व प्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करने में उन्हे कोई आपत्ति नही है। इस प्रकार की सहमति देने के बाद अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को अपनी स्वंय स्वीकृति के विरूद्ध जाने का कोई अधिकार नही बनता है। इस रिपोर्ट का भी तहसीलदार साहब सुनेल द्वारा ठीक प्रकार से विवेचन नही किया गया है। उक्त तर्कों से स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट को अपनी आराजी खसरा नम्बर 375,377 पर कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता खसरा नम्बरान 389,388 की मैर, 388,375,386,378 व 376 की मेर पर से होकर ही है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही है जिससे रेस्पोडेन्ट वगैराह ने गत 3–4 सालों से अवरूद्ध कर देने के कारण अपीलान्ट की आराजी पड़त पडी है व अपीलान्ट पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है जिसे न्यायहित में खुलासा किया जाना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर उक्त विवादित रास्ते को खुलासा करवाये जाने व रेस्पोडेन्ट वगैरह को पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में उक्त रास्ते को अवरूद्ध ना करें।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अकंन किया कि अपीलान्ट द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की गई है। यह कि दिनांक 09.12.2015 को तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपीलान्ट का प्रा0पत्र खारिज कर दिया गया था तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई प्रतीत नही हुआ कि अपीलान्ट का रास्ता विवादग्रस्त खसरों पर होता हुआ गुजर रहा हो। यह कि पटवारी हल्का औसाव द्वारा तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मांगी गई थी कि अपीलान्ट का रास्ता विवाद ग्रस्त खसरों पर है या नही तो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 26.11.2015 को मौका देखकर तहसीलदार पिड़ावा को रिपोर्ट की गई कि रेस्पोडेन्ट खसरों पर होता हुआ रास्ता अपीलान्ट का नही है। यह कि दिनांक 25.07.2017 पुनः श्रीमान द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की गई थी तथा पुनः निर्णय के लिये अधीनस्थ न्यायालय भेजी गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सारी मौका रिपोर्ट एवं बयानों के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2019 को खारिज कर दिया गया। धारा 251 आरटी एक्ट का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है जबकि तहसीलदार को नही है। अपील खारिज करने का अनुरोध किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 26.11.2015 अनुसार मुताबिक राजस्व रेकार्ड प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता नही बना हुआ है एंव मौके पर देखने कोई प्रचलित रास्ता प्रतीत नही होता है और ना ही रास्ते के चिन्ह अंकित है। प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता जो नक्शा छाया प्रति में चिन्हित है एकमात्र रास्ता नही है,और भी पंहुच मार्ग ब0न0 375,377 पर आने–जाने हेतु संभावित हो सकते हैं अंकन किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 08.12.2015 दौराने जनसुनवाई ग्राम पचांयत कोटडी में तत्कालिन जिला कलक्टर के समक्ष यह प्रकरण प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा जन सुनवाई में दिये गये निर्देश की पालना में मांगीलाल मेहर नि0 औसाव की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ता खुलासा करवाया गया था, इसी क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा दिनांक 09.12.2015 को निर्णय पारित कर अंकन किया गया कि '' समझाईश के पश्चात प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान से निकलने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है,अप्रार्थीगण सहमत है'' व प्रा0पत्र खारिज कर दिया गया।

अपीलान्ट मांगीलाल द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय में प्रस्तुत प्रा0पत्र कार्यालय हाजा में प्राप्त होने पर नियमानुसार निस्तारण हेतु उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा को दिनांक 27.06.2017 को भिजवाया जाने पर तहसीलदार पिड़ावा द्वारा रिपोर्ट पटवारी प्राप्त की गई पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05.07.2016 अनुसार अंकन किया है '' वर्तमान पर जहॉ से प्रार्थी अपने आने–जाने का रास्ता बताता है वहॉ अप्रार्थीगण लक्ष्मण पि0रामलाल जाति मेहर नि0 ओसाव एवं मांगीलाल पि0 कालू जाति मेहर नि0 ओसाव ने नाली खोदकर एंव कांटो की बाड़ लगाकर रास्ता अवरूद्ध कर रखा है। प्रार्थी के साथ पेदल मोके पर खेत तक गया तो पाया कि प्रार्थी के खेत वर्तमान में भी पड़त ही पड़ी है। प्रार्थी बुवाई नही कर पाया है। उसी रिपोर्ट अनुसार पक्षों को सहमत कर आने–जाने हेतु उस समय रास्ता बहाल करवा दिया गया था, वर्तमान में प्रार्थी का रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा रोक दिया गया है अंकन किया गया है। दिनांक 09.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा पारित निर्णय की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 15.02.2017 को प्रस्तुत की गई जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 25.07.2017 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में जो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं का उपयोग करते हुए अपीलान्ट को उसके खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु बाद जांच व सुनवाई कर विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अपनाई जाकर नियमों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें । जिस पर अधीनस्थ

जिला कलक्टर
झालावाड़

न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 01.02.2019 से प्रकरण में रिकार्डेड रास्ता दर्ज नही होने के कारण न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नही होना अंकन करते हुए प्रकरण खारिज किया गया जिसकी अपील प्रस्तुत होने पर बाद सुनवाई उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न बयान गवाह रामगोपाल आ0 उकांरलाल सेन व रामलाल आ0 बरधा सेन ने अपने बयान में स्पष्ट किया है गोपाल,रामप्रताप,लक्ष्मण मेहर द्वारा कांटें डालकर खाई खोदकर रास्ता रोका है, मौके पर एसडीएम पिड़ावा द्वारा रास्ता खुलासा करवाया किन्तु पुनः रास्ता रोक दिया गया जिससे खेत पड़त है , विवादग्रस्त रास्ता मौजूद है किन्तु प्रतिवादीगण ने बन्द कर रखा है।

प्रकरण की गंभीरता के मध्यनजर हमारे द्वारा तहसीलदार सुनेल से मौका स्थिति की रिपोर्ट बाबत दूरभाष पर निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.06. 2019 में अंकन किया गया कि अपीलान्ट की आराजी ख0न0 375,377 मौके पर पड़त है, वादी को रास्ते की आवश्यकता प्रतीत होती है।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तत्कालिन जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 08.12.2015 को दौराने जनसुनवाई ग्राम पचांयत कोटडी में दिये गये निर्देश की पालना में मांगीलाल मेहर नि0 औसाव की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ता खुलासा करवाया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा द्वारा निर्णय दिनांक 09.12.2015 में भी अंकन किया गया कि '' समझाईश के पश्चात प्रार्थी उक्त खसरा नम्बरान से निकलने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है,अप्रार्थीगण भी सहमत है'' इसी तरह रिपोर्ट पटवारी दिनांक 05.07.2016 अनुसार पक्षों को सहमत कर आने–जाने हेतु उस समय रास्ता बहाल करवा दिया गया था।

सर्व प्रथम तो अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपनी लिखित बहस में अंकन कि धारा 251 आरटी एक्ट का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है जबकि तहसीलदार को नही है से हम सहमत नही है क्यों कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में तहसीलदार शक्तियां प्राप्त है। उपरोक्तानुसार यह साबित है कि अपीलान्ट की आराजी पर पहुंच हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा समय–समय पर रास्ता बन्द किया या व्यवधान प्रस्तुत कर रास्ता रोका गया है व उक्त बन्द रास्ते को समय–समय पर प्रशासन द्वारा सहमति या जर्ये उचित माध्यम खुलासा कराया गया है। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुनेल को अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में जो तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं का उपयोग करते हुए अपीलान्ट को उसके खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना चाहिये था जो उनके द्वारा नही किया गया है। न्यायिक दृष्टान्त 1997 RRD 148 Bhera & orsv.jagannath & ors, 1998,RRD 204 Ramlal v.Toliram & ors दृष्टान्त सहित न्यायिक निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला है जिसमें यह प्रतिपादित किया है कि धारा 251 एक व्यथित–व्यक्ति को उसके रास्ते के अधिकार के वास्तविक उपभोग में विघ्न डालने पर ही राहत देती है,परन्तु यह आवश्यक नही कि ऐसे मार्ग का अधिकार केवल उसी रास्ते के बारे में होना चाहिये,जो राजस्व–अभिलेख में मान्यता प्राप्त रास्ता है। इसी क्रम में न्यायिक दृष्टान्त 1982 RRD 354 Hanumandas V/S Janta, में निर्णय हुआ कि राजस्व अभिलेख के अन्तर्गत मान्य रास्ते सम्बन्धी इन्द्राज आवश्यक नही है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में ही तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार सुनेल का निर्णय विधि

जिला कलक्टर
झालावाड़

अनुरूप प्रतीत नही होता है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुनेल का निर्णय दिनांक 01.02.2019 अपास्त किया जाता है । तहसीलदार सुनेल को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय की प्रमाणित प्रति इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी पर पंहुच हेतु पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे रास्ते का खुलासा करवावे तथा रेस्पोडेन्ट को लिखित में पाबन्द करें कि भविष्य में उक्त उपयोग में आने वाले रास्ते में किसी तरह की रूकावट प्रस्तुत ना करें । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़